



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042025-262242
CG-DL-E-03042025-262242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1560]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/ चैत्र 13, 1947

No. 1560]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/ CHAITRA 13, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2025

का.आ. 1579(अ).—आवामी एकशन कमेटी (एएसी) को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1115(अ) तारीख 11 मार्च 2025 द्वारा एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि आवामी एकशन कमेटी (एएसी) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, न्यायमूर्ति सचिव दत्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय से मिलकर बनने वाले विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन करती है।

[फा.सं. 14017/7/2025-एन.आई-एम.एफ.ओ]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2025

S.O. 1579(E).—Whereas, Awami Action Committee (AAC) has been declared as an unlawful association, *vide* notification number S.O. 1115(E), dated the 11th March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with sub-section (1) of section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Justice Sachin Datta, Judge, High Court of Delhi, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Awami Action Committee (AAC) as an unlawful association.

[F.No.14017/7/2025-NI-MFO]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.